भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3306
बुधवार, 24 मार्च, 2021/3 चैत्र, 1943 (शक)

अतिरिक्त रोज़गार का सृजन

3306. श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 के अंत तक देश में कितनी प्रतिशत युवा बेरोज़गार है;
(ख) वर्ष 2019-20 के दौरान बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार का सृजन करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) क्या विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रो में 13वीं पंच वर्षीय योजना में अतिरिक्त रोज़गार का सृजन करने के लिए एक नई कार्यनीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस परिणामों के अनुसार, देश में 2018-19 के दौरान 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी की दर 5.8% थी।

योजना आयोग के विघटित होने एवं नीति आयोग के निर्माण के साथ, कोई और औपचारिक पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न कदम उठाए हैं।

एमजीएनआरईजीएस के तहत मजदूरी को 182 रु. प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रु. कर दिया गया है। 2020-21 के दौरान (22/3/2021 को), एमजीएनआरईजीएस के तहत 373.57 करोड़ मानवदिवस सृजित किए गए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जो रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करती है, इसमें एक डिजिटल पोर्टल (www.ncs.gov.in) भी है जो गतिशील ढंग से रोजगार तलाश एवं मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। एनसीएस पर सभी सेवाएं लागत-मुक्त हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

*****